संख्या-218/2019/493/35-3-2019-1(39) /2017

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेंवा में ,

जिलाधिकारी,
खीरी ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2019**

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-खीरी हेतु हेरिटेज वर्क रोड थारू शिल्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य के लिये जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद-खीरी की निम्नलिखित परियोजना हेतु रू. 45.86 लाख (रू. पैतालीस लाख छियासी हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-11/2018/39/35-3-2018-1(39)/2017 दिनांक 19 जनवरी, 2018 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी । स्वीकृत कार्यो के सम्पादन के उपरान्त परियोजना पर वास्तविक रूप से व्यय की गई जी.एस.टी. की देय धनराशि रू. 4.91 लाख को वित्तीय वर्ष 2019-20 में अवमुक्त किये जाने एवं आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। जी.एस.टी. की इस धनराशि में केन्द्रांश रू. 2.95 लाख तथा राज्यांश रू.1.96 लाख की धनराशि सम्मिलित है। जी.एस.टी. की परियोजनावार धनराशि का विवरण निम्नवत है

(धनराशि लाख रू. मे)

क0 सं0	परियोजना का नाम		वास्तविक रूप से व्यय की गई जी.एस.टी की धनराशि जिसको वित्तीय वर्ष 2019-20 में जारी किया जा रहा है		
	कार्यदायीसंस्था–लोकनिर्माणविभाग	आगणन के अनुसार स्वीकृत धनराशि	वास्तविक व्यय जी.एस.टी. की कुल धनराशि	केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त जी.एस.टी. की धनराशि	राज्यांश के सापेक्ष अवमुक्त जी.एस.टी. की धनराशि
1	थारू शिल्प ग्राम के अन्तर्गत थारू म्यूजियम, बाउन्ड्रीवाल, आन्तरिक सड़क निर्माण एवं अन्य विविध कार्य	45.86	4.91	2.95	1.96
	योग	45.86	4.91	2.95	1.96

1- संदर्भित नियोजन अनुभाग3- के शासनादेश संख्या-11/2018/392017/(39)1-2018-3-35/ दिनांक जनवरी 19, 2018 की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- जिलाधिकारी द्वारा जी0एस0टी की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से निर्माण कार्य हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि के व्यय उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4. कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-14-हेरिटेज वर्क शेड थारू शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र/विक्रय एवं प्रदर्शन केन्द्र/नृत्य संगीत केन्द्र/हट आदि निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-218/2019/493(1)/ 35-3-2019-1(39)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिवएवं वित्त आयुक्त,उ0प्र0 शासन ।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन ।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
4. महालेखाकार,प्रथम (लेखा एवं हकदारी)उ0प्र0 इलाहाबाद, महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0इलाहाबाद ।
5. निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. संयुक्त निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. कोषाधिकारी, खीरी ।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग/-5 लोक निर्माण अनुभाग-9 ।
10. उप निदेशक,(अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल ।
11. अर्थ एवं संख्याधिकारी, खीरी ।
12. राज्य योजना आयोग।-
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in